न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
05/2024	प्रा0पत्र 136 LRA	15.01.2024	30.01.2024

1. बीरबल सिंह पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू हाल शेषु तहसील व जिला झुंझुंनू (राज.)
2. हीरालाल पुत्र जगन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू हाल कोदेसर तहसील व जिला झुंझुंनू (राज.)
3. फारूक हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद जाति काजी निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू हाल निवासी बिसाऊ तहसील व जिला झुंझुंनू (राज.)
4. मोहम्मद साजिद पुत्र रहमतुल्ला जाति कसाई निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू हाल निवासी बिसाऊ तहसील व जिला झुंझुंनू (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

–अप्रार्थी–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 1207/1199 तादादी 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नं. 1207/1199 तादादी 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208/1199 तादादी 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नं. 1200/1130 तादादी 0.4932 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी "मौका नक्शे एनेक्चर A" एवं मौका नक्शा राजस्व रिकॉर्ड एनेक्चर दावा हाजा के साथ प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण की खरीदशुदा कृषि भूमि है जिसमें मूल खसरा नम्बर 1130/93 व 1136/1132 वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू है उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2013 के पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 315, पृष्ठ संख्या 121 क्रम संख्या 2513 पर पंजीकृत दस्तावेज जो कि पंजीकृत है जिसमें खसरा नम्बर 1130/93 तादादी 04 बीघा 01 बिश्वा जिसमें [illegible] बीघा 19 बिश्वा कृषि भूमि का विक्रय फारूक हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद शहर काजी ने क्रेता मोहम्मद सा[illegible]ल्ला को किया और कृषि भूमि का दूसरा विक्रय पत्र जो वि[illegible] दिनांक 21.02.2013 को उक्त खसरा नम्बर 1130/93 में से एक बीघा [illegible] अब्दुल हमीद काजी ने हीरालाल पुत्र जगन सिंह को बेचान किया एवम् तीसरा विक्रय पत्र संख्या 2013002[illegible] दिनांक 10.04.2013 को खसरा नम्बर 1130/93 व 1136/11[illegible] से खसरा नम्बर 1136/[illegible] का संपूर्ण हिस्सा व 1130/93 में से 9 बिश्वा कृषि भूमि का बेचान फारूक हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद काजी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बीरबल सिंह पुत्र श्री नारायणराम को किया। उक्त पंजीकृत दस्तावेजों में खसरा नम्बर 1130/93 में से बेचान की गई कृषि भूमियों में से आसा पासा विक्रय पत्र में लिखा गया जिससे उक्त कृषि भूमि का विभाजना होना था मगर राजस्व कर्मचारी की भूलवश विभाजन गलत दर्ज हो गया।

उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1130/93 तादादी 04 बीघा 01 बिश्वा कृषि भूमि में से मोहम्मद साजिद पुत्र रहमतुल्ला को सोनी फार्म हाऊस के चिपती 01 बीघा 19 बिश्वा कृषि भूमि में आसा पास का अंकन था, उसके बाद खसरा नम्बर 1130/93 में से 01 बीघा कृषि भूमि हीरालाल पुत्र जगन सिंह को विक्रय की गई जो कि साजिद पुत्र रहमतुल्ला के चिपती उक्त कृषि भूमि दी गई एवं उसके बाद खसरा नम्बर 1130/93 में से 09 बिश्वा कृषि भूमि फारूक हुसैन ने बीरबल सिंह को विक्रय कर दी जो कि हीरालाल के चिपते ही कृषि भूमि दी गई। नामान्तरकरण संख्या 1172 व 1230 से खसरा नम्बर 1130/93 का विभाजन किया गया जबकि नामान्तर संख्या 1329 में खसरा नम्बर 1130/93 में हीरालाल पुत्र जगनसिंह का होना था परन्तु उक्त कृषि भूमि का विभाजन न होकर एकसाथ खाते में सामलाती कर दी गई और नामान्तर संख्या 1172 व 1230 में खसरा नम्बर 1130/93 का विभाजन किया गया मगर मूल नक्शा एक्स में तरमीम नहीं की गई ना ही उक्त तरमीम को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया जो कि राजस्व कर्मचारी की भूलवश नक्शा राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज किया गया।

जिसमें विभाजन के समय नक्शे में तरमीम अदला बदली होने के कारण तरमीम गलत तरमीम अंकन राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया गया जिसके नक्शे एनेक्चर B के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तरमीम सही करवाने बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण के खेतों में तरमीम एनेक्चर A के अनुसार नक्शे में दर्शाया गया है जो राजस्व कर्मचारियों की भूलवश हो गया जिसे एनेक्चर B किया जावे। प्रार्थीगण उक्त एनेक्चर B को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जावे। जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा एनेक्चर B प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार उक्त खसरान जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन है परन्तु मौके पर एनेक्चर A के अनुसार खसरान जो कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा पेश एनेक्चर B के अनुसार है इसलिए अदालत मातहत में उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एनेक्चर A से B "एनेक्चर" साथ पेश है।

उक्त विवादित कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारी की भूलवश एनेक्चर B से A दर्ज हो गया जिसके स्थान पर एनेक्चर A से B किया जावे। उक्त कृषि भूमि के नक्शे को एनेक्चर A से B के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुदा सम्पति है। राजस्व कर्मचारी की भूलवश प्रार्थीगण की कृषि भूमि के राजस्व नक्शे के अनुसार गलत तरमीम कर दी गई थी जो गलत है और इसके लिए आव[illegible] प्रार्थी अपने राजस्व रिकॉर्ड में एनेक्चर A से B के अनुसार करवा लेवें जिससे [illegible] प्रकार का कोई वाद विवाद भविष्य में ना रहे इसलिए उक्त प्रार्थना[illegible] जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कहा व कहलवाया कि प्रार्थीगण की खसरान भूमि में उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त व नक्शे में दुरूस्त राजीरजा करवा देवें। मगर अप्रार्थी टाल–मटोल करता रहा एवम् आखिरकार दिनांक 08.01.2024 को अप्रार्थी ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 08.01.2024 से वादकरण तथा वाद–हेतुक प्रार्थीगणको भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

उक्त प्रार्थीगण की कृषि भूमि बैंक के रहन नहीं होने के कारण बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि एनेक्चर ए के स्थान पर एनेक्चर बी के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं अंकित कृषि भूमि एनेक्चर ए के स्थान पर एनेक्चर बी के अनुसार दुरूस्त कर एनेक्चर बी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सहीं अंकन करवाया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से निवेदन किया गया कि जांच रिपोर्ट को ही जवाब माना जावे। उक्त दुरूस्ती के कारण से कोई राजकीय हानी होने की संभावना नहीं है । जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसील स्तर पर तथ्यों की भूल हुई है जो तहसीलदार रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। अतः उनका प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से एनेक्चर ए के स्थान बी के अनुसार दुरूस्त करवाये जाने हेतु निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के अनुसार खसरा नम्बर 1200/1130 तादादी 0.4932 है मोहम्मद साजिद पुत्र रहमतुल्ला हि. पूर्ण जाति कसाई नि. बिसाउ ख. नं. 1136/1132 तादादी 0.2655 है. ख. नं. 1207/1199 तादादी 0.1138 है. बीरबलसिंह पुत्र नारायण राम हि. पूर्ण जाति जाट नि. शेषु जिला झुंझुंनू ख. नं. 1208/1199 तादादी 0.4173 है. फारूक पुत्र अब्दुल हमीद हि. 13/33 जाति काजी नि. बिसाउ हीरालाल पुत्र जगनसिंह हि. 20/33 जाति जाट नि. कोदेसर त. व जिला झुंझुंनू खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए पंजीकृत विक्रय पत्र पंजिबद्ध क्रमांक 2013002513 दिनांक 10.04.2013 को उप पंजियक चूरू में पंजिकृत दस्तावेज जिसमें ख. नं. 1130/93 तादादी 4 बीघा 01 बिश्वा कृषि भूमि में से 1 बीघा 19 बिश्वा का विक्रय फारुक पुत्र अब्दुल हमीद ाहर काजी ने क्रेता मोहम्मद साजिद पुत्र रहमतुल्ला जाति व्योपारी नि. बिसाउ को किया। दूसरा विक्रय पत्र से पंजीबद्ध दस्तावेज क्रमांक 2013001305 दिनांक 21.02.2013 को उप पंजीयक चूरू से विक्रय पत्र से ख. नं. 1130/93 में से एक [illegible] भूमि फारूक हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद शहर काफी ने हीराराल पुत्र [illegible] कोदेसर को बेचान किया एवं तीसरा विक्रय पत्र पंजीबद्ध क्रमांक [illegible] उपपंजीकय चूरू से पंजिबद्ध विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 1136/1132 व 1130/93 में से ख. नं. 1136/1132 का सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हिस्सा व ख. नं. 1130/93 में से 09 बिश्वा कृषि भूमि का बेचान फारूक पुत्र हुसैन पुत्र हमीद शहर काफी ने बीरबलसिंह पुत्र नारायणराम जाति –जाट नि. शेषु को किया। इन विक्रय पत्रों में ख नं. 1130/93 मे से बेचान की गई कृषि भूमियों का विभाजन के लिए आसा–पासा लिखा गया था। पंजिकृत क्रमांक 2013001305 दिनांक 20.02.2013 को उपपंजीयक चूरू से पंजिकृत विक्रय पत्र में लिखे आसा–पासा के अनुसार हीरालाल पुत्र जगनसिंह के रकबे का विभाजन हानो था परन्तु नामान्तरण सं. 1329 से हीरालाल पुत्र जगनसिंह का रकबा सम्मिलित खाते में सहवन से कर दिया गया। नामान्तरण संख्या 1172 व 1230 में खसरा नम्बर 1130/93 का विभाजन किया गया परन्तु मूल नक्शा एक्स में तरमीम नहीं की गई। तहसील का रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय सेग्रीगेशन में सहवन से गलत तरमीम कर दी गई । जिसको राजस्व नक्शे में मुताबिक नजरी नक्शा के तरमीम करने पर प्रार्थीगण सहमत है। पंजीकृत क्रमांक 2013001305 दिनांक 21.02.2013 को उपपंजीयक चूरू से पंजिकृत विक्रय पत्र के मुताबिक हीरालाल पुत्र जगनसिंह के रकबे का विभाजन कर मुताबिक नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम सही की जानी उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी गण की ओर से प्रार्थना–पत्र में चाहे गये अनुतोष पर प्रार्थीगण सहमत है तथा रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण की ओर से चाहे गये अनुतोष के अनुसार ही है। अतः तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रमाणित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को रिपोर्ट तहसीलदार चूरू को प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत अनेक्चर B व तहसीलदार चूरू कि रिपोर्ट दिनांक 18.01.2024 एवं संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार रिकॉर्ड को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न नजरी नक्शा भविष्य में आदेश का भाग माना जावे।

आदेश आज दिनांक 30.01.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/01/2024.
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:51 IST
Reason: SelfAttested